46 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 6 जून, 2013

ज्येष्ठ 16, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–10

संख्या 1544/छः-पु०-10–2013–27(65)-2012

लखनऊ, 06 जून, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि०–42

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा
(छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 5 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(2) निरीक्षक (क) नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन निरीक्षक के स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन निरीक्षक के स्वीकृत पदों में से शेष 50 प्रतिशत पद बोर्ड के माध्यम से विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, (ख) उप खण्ड (क) में यथा उल्लिखित पदोन्नति के माध्यम से भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षकों (नागरिक पुलिस) में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन, परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत निरीक्षक (नागरिक पुलिस), जो खण्ड (ख) में उल्लिखित अपेक्षा पूर्ण कर रहे हों, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।	(2) निरीक्षक (क) नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन निरीक्षक, नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निरीक्षकों नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (ख) उप खण्ड (क) के अधीन निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे निरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

नियम 17 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
17(1) रिक्तियों की गणना पदोन्नत के माध्यम से भर्ती वर्ष में निरीक्षक के पद के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना नियम 5 के उप नियम (2) के अनुसार की जायेगी। (2) ज्येश्ठता के आधार पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियाँ चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरी जायेंगी।	17–निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरे जायेंगे।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) चयन समिति–	(क) चयन समिति,–
(एक) का गठन तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।	(एक) का गठन तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
(दो) की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी,	(दो) की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी,
(तीन) में पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) समिति के पदेन सदस्य के रूप में होंगे, जो तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।	(तीन) में पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) समिति के पदेन सदस्य के रूप में होंगे, जो तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची और सेवा अभिलेख भी चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
(चार) में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के एक नाम निर्देशिती होंगे, जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होंगे।	(चार) में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का एक नाम निर्देशिती होगा, जो पुलिस अक्षीक्षक के स्तर से निम्न पंक्ति का नहीं होगा।
(पॉच) में पुलिस सेवा के राजपत्रित स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।	(पॉच) में पुलिस सेवा के राजपत्रित स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
	टिप्पणी :– बोर्ड के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि चयन समिति में अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रत्येक का कम से कम एक प्रतिनिधि समाविष्ट हो।
(ख) चयन समिति पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।	(ख) चयन समिति पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।
(ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करेंगे।	(ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करेंगे।
(3) लिखित परीक्षा और सेवा अभिलेख के आधार पर पदोन्नति	
विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिये बोर्ड निम्नलिखित रीति से लिखित परीक्षा आयोजित करेगा :–	
(क) लिखित परीक्षा	
अर्ह अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, द्वारा यथा अनुमोदित पदोन्नत अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 300 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों तथा प्रत्येक विषय के लिये आवंटित अंकों का विवरण निम्नवत् है :–

विषय	अधिकतम अंक
1. विधि और व्यवस्था, वाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली	100 अंक (व्याख्यात्मक प्रकार)
2. संविधान, मूल विधि एवं पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल आदि)	150 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा, कम्प्यूटर जानकारी	50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

टिप्पणी 1–प्रश्न पत्र निरीक्षक स्तर के अधिकारी के कार्य प्रोफाइल पर आधारित और कार्य के उत्तरदायित्व के अनुरूप होंगे।

टिप्पणी 2–प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी रिक्ति की विद्यमानता के अधीन रहते हुये पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

टिप्पणी 3–लिखित परीक्षा में संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–3 में विहित है।

(ख) सेवा अभिलेख

सेवा अभिलेखों के लिये अधिकतम 100 अंक होंगे जो निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे :–

(एक) गत 10 वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियों के लिये अधिकतम 60 अंक तक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक उत्कृष्ट श्रेणी के लिये 06 अंक, अति उत्तम श्रेणी के लिये 04 अंक और उत्तम श्रेणी के लिये 02 अंक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि के लिये योग में से 06 अंक काट लिये जायेंगे।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(दो) प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिये अधिकतम 20 अंक तक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक प्रदान किये जायेंगे और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक प्रदान किये जायेंगे।

टिप्पणी 1–पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण की सूची अधिसूचित करेंगे। यह अधिसूचना प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ में जारी की जायेगी। इस प्रकार अधिसूचित सूची पदोन्नति की प्रक्रिया के समय पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

टिप्पणी 2–कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जायेगा।

(तीन) पारितोषिक के लिये अधिकतम 20 अंक तक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक पारितोषिक के लिये 05 अंक प्रदान किये जायेंगे।

(चार) दण्ड के लिये अंक निम्नवत् काटे जायेंगे :–

(1) प्रत्येक वृहत दण्ड–– 10 अंक

(2) प्रत्येक लघु दण्ड– 06 अंक

(3) प्रत्येक वर्ष का रोका गया सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र –10 अंक

सेवा अभिलेख का विचार क्षेत्र निरीक्षक पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस से गत 10 वर्षों का होगा।

(ग) अन्तिम चयन सूची

(एक) चयन समिति खण्ड (क) लिखित परीक्षा और खण्ड (ख) सेवा अभिलेख में अभ्यर्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो खण्ड (ख) (सेवा अभिलेख) में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी सूची में ऊपर रखा जायेगा। इसके बाद भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों में समान अंक हों तो उन्हें सूची में उनकी आयु के अनुसार रखा जायेगा। अधिक आयु वाले को ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के ऊपर रखा जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) चयन समिति अपनी संस्तुति सहित पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची उनकी योग्यता के क्रम में पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।	
(तीन) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेंगे।	
4. निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के नियत वर्ष में ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया विभागीय परीक्षा द्वारा की जाने वाली पदोन्नति की प्रक्रिया से सदैव पहले होगी, प्रतिबन्ध यह है कि उसी के लिये रिक्तियाँ हों। उप नियम (2) के अधीन असफल अभ्यर्थी उप नियम (3) के अधीन विभागीय परीक्षा में प्रतियोगिता हेतु अर्ह होंगे।	
5. उप नियम (1) केवल नियम 5 के खण्ड (क) हेतु निरीक्षक के पद की रिक्तियों की गणना के लिये है। निरीक्षक पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के नियत वर्ष में उप नियम (2) के अधीन पदोन्नत उपनिरीक्षक उप नियम (3) के अधीन पदोन्नत उपनिरीक्षक से ज्येष्ठ होंगे।	
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, द्वारा यथाअनुमोदित पदोन्नत अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।	

आज्ञा से,
आर0 एम0 श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।